न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00365

1. रामप्रकाशी आयु 46 वर्ष बेवा देवलाल जाति मीणा निवासी रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. सुरेन्द्र आयु 25 वर्ष आत्मज देवलाल जाति मीणा निवासी रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. शिवराज आयु 21 वर्ष आत्मज देवलाल जाति मीणा निवासी रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. दुर्गालाल आयु 43 वर्ष आत्मज मोती लाल जाति मीणा निवासी रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. प्रेमलाल आयु 38 वर्ष आत्मज मोती लाल जाति मीणा निवासी रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. श्रीमान् उप पंजीयक मोहदय, हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेन्द्र जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 25.11.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पेश कर कथन किया कि ग्राम रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खसरा नम्बर 722 रकबा 03 बीघा

09 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में से 02 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीगण के पति व पिता देवा आत्मज घांसी मीणा का कब्जा चला आने से आवंटन सलाहकार समिति हिण्डोली ने दिनांक 09.02.1983 को प्रार्थी क्रम 1 के पति व प्रार्थी क्रम 2 व 3 के पिता श्री देवा को भूमि आवंटित की थी जिस पर देवा जी अपने जीवनकाल में काबिज काश्त रहे हैं । देवा जी की मृत्यु सन् 2012 में हो गई और उनकी मृत्यु के बाद से प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उक्त भूमि पर सिंचाई हेतु कुआ भी खुदवाया हुआ है । उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के पिता व पति एवं उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है । अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 ने मौके पर आकर प्रार्थीगण को धमकाया और कहा कि उक्त भूमि हमने अपने नाम खाते दर्ज करवा ली है और अब हम उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करेंगे । प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का के पास जाकर जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि अप्रार्थी दुर्गालाल व प्रेमलाल के नाम खातेदारी में गलत रूप से दर्ज कर दी गई है । वादग्रस्त आराजी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रार्थीगण के पिता व पति को नियमानुसार आवंटित सन् 1983 में आवंटित की गई थी उक्त आवंटन आदेश आज भी प्रभावी है । खसरा नम्बर 722 का कुल रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा था जिसमें से 02 बीघा 14 बिस्वा प्रार्थीगण के पिता व पति को सन् 1983 में ही आवंटित हो जाने के बाद अप्रार्थीगण के आवंटन के लिए 02 बीघा भूमि नहीं बचती है । इस कारण अप्रार्थीगण के नाम किया गया आवंटन विधि–विरूद्ध होने से स्वतः ही सारहीन व खारिज योग्य है । प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में हैं ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 722 में से प्रार्थीगण की 02 बीघा 14 बिस्वा भूमि वाके ग्राम रोशन्दा पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें, जबरन कब्जा नहीं करने, उक्त भूमि को रहन, बेचान नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

4. अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीक़ार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.07.2019 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.07.2019 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा नम्बर 722 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा में से 02 बीघा 14 बिस्वा भूमि अपीलान्टगण के पति व पिता को सन् 1983 में आवंटित की गई थी और दखलनामा दिया गया था । उक्त भूमि पर सिंचाई हेतु एक कुआ खुदवा रखा है जिससे भूमियॉ सिचिंत करते हैं । उक्त भूमि आवंटन होने के बाद राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं हुआ जिसका फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट ने भूमि दिनांक 20.12.2004 को आवंटित करवा ली । उक्त भूमि पर अपीलान्टगण कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी खातेदार बन चुके हैं। उक्त भूमि का आवंटन अपीलान्टगण के पति व पिता के नाम हुआ था जो आज भी बहाल है ।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट प्रार्थीगण ने हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया है । प्रार्थना पत्र को त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज किया गया है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 722 की 03 बीघा 19 बिस्वा में से 02 बीघा 14 बिस्वा आराजी अपीलान्ट रामप्रकाशी के पति एवं अपीलान्ट कम 2 व 3 के पिता देवा पुत्र घांसी मीणा को दिनाक 09.02.1983 को आवंटित हुई थी और दखलनामा दिया गया था । आवंटी देवा लाल ताजिन्दगी इस पर काबिज रहे और उनके देहान्त के बाद अपीलान्ट इस पर काबिज काश्त हैं । अपीलान्ट ने मौके पर कुआ खुदवा रखा है जिससे भूमि की सिंचाई की जाती है । फिर भी अपीलान्ट का कब्जा नहीं मानकर त्रुटि की है । कब्जे की जॉच करवाये बिना निर्णय पारित किया गया है । आवंटन के बाद राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं होने का अनुचित फायदा उठाते हुए रेस्पोडेन्ट ने इसे अपने नाम आवंटित करवा लिया और आवंटन के बाद इसे अपने नाम दर्ज करवा लिया । इसकी आड में अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट बेदखल करने पर आमादा हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के काननून खातेदार हो चुके हैं । फिर भी प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2019 निरस्त फरमाया जावे तथा रेस्पोडेन्टगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द नहीं करें ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि खसरा परिवर्तनशील जो पेश की गई हैं उसके अनुसार संवत् 2055 से वादग्रस्त आराजी पर कब्जा रेस्पोडेन्टगण का है । वादग्रस्त आराजी में से 02 बीघा आराजी अप्रार्थीगण को विधि सम्मत रूप से आवंटित की गई है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का ही है । अपीलान्ट का कभी भी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं रहा है । देवलाल सन् 1996 में गॉव छोडकर भीलवाडा चले गये थे । देवलाल ने अपने जीवनकाल में कोई कार्यवाही वादग्रस्त आराजी के बाबत् नहीं की । खातेदार कृषिक के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2019 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर दस्तावेजात में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2069–72 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 722 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा भूमि सिवायचक बंजड दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2069–72 के संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 724 रकबा 31 बीघा 19 बिस्वा बजंड दर्ज है । खसरा नम्बर 722 और 724 के नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति संलग्न है । आवंटन आदेश की फोटो प्रति पेश की गई है जिसके अनुसार देवलाल

को खसरा नम्बर 722 की 02 बीघा 14 बिस्वा आराजी आवंटित की गई है । दखलनामे की फोटो प्रति भी पेश की गई है और दुर्गालाल एवं प्रेमलाल के आवंटन के लिए पेश किये गये आवेदन की फोटो प्रति पेश की गई है । दुर्गालाल और प्रेमलाल के पक्ष में खसरा नम्बर 722 की 02 बीघा और खसरा नम्बर 724 की 01 बीघा के आवंटन आदेश की फोटो प्रति और इसका दखलनामा पत्रावली पर संलग्न है । इसके अलावा संवत् 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071 की खसरा परिवर्तनशील की नकलें खसरा नम्बर 722 और 724 की पेश की गई हैं । पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2073–76 खसरा नम्बर 1563/722 और 1564/724 संलग्न है जिसके अनुसार दुर्गालाल, प्रेमलाल वादग्रस्त आराजी के खातेदार हैं । इसके अलावा संवत् 2072, 2073, 2074, 2075 की खसरा परिवर्तनशील की नकलें भी पेश की गई हैं ।

11. प्रार्थी के द्वारा यह कथन किया गया है कि उनको खसरा नम्बर 722 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा में से 02 बीघा 14 बिस्वा आराजी आवंटित हुई थी । परन्तु इस आराजी के बाबत् उन्होंने गैर खातेदारी अथवा खातेदारी में दर्शाते हुए कोई नकल जमाबन्दी पेश नहीं की है और पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2073–76 के अनुसार खसरा नम्बर 1563/722 और 1564/724 दुर्गालाल एवं प्रेमलाल रेस्पोडेन्टगण के खाते में दर्ज है । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक अपीलान्ट न होकर रेस्पोडेन्टगण हैं । तद्नुसार प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में नहीं पाया जाता है । रेस्पोडेन्ट खातेदार के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना हम उचित नहीं समझते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2019 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 25.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25.11.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा